


12.3.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
वादीगण मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं.
2, व 5 मय वकील उपस्थित। वादीगण ने
दावा विद्ने किया। अतः प्रतिवादीगण को दावा
वादीगण विद्ने किये जाने के कोई आपत्ति
मद्ये है। दावा वादीगण विद्ने कर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फ़ैलद भुगार
होकर खम्बर से कम होकर बाद तकमील
दौरिवप खम्बर हो निर्णय सुनाया गया।


अतिरिक्त न्यायिक
मजिस्ट्रेट, करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

